उद्धरण खतौनी NZA

ग्राम हत्यारीताल पट्टी गौनियारो सु0का0 क्षेत्र चौगढ़ तहसील खनस्यूँ जिला नैनीताल फसली वर्ष 1428-1433

खाता सं0	नाम खातेदार पिता/पति का नाम	मुद्त काश्त	खेत नम्बर	रकवा हे0 में	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश	विशेष विवरण
83	श्रेणी 9(3)ड़ कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि बंजर	—	27 28 29 ↕ 180 181 182 ↕ 827 931 1054/1	0.018 0.025 0.018 ↕ 0.039 137.103 1.786 ↕ 2.747 0.123 17.816		आदेश जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के कार्यालय पत्र सं0 582/12 जे0ए0एस0सी0/2023-24 दिनाँक 10 अगस्त 2023 के अनुसार जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना नैनीताल की तराई तथा चोकुफेरी फीडर नहरों के निर्माण कार्य हेतु बाहित 17.22 हे0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 35.44 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम-हत्यारीताल के फसली वर्ष 1428-1433 के नॉन0 जे0ए0 खतौनी श्रेणी 9(3)ड़ कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि, खाता खतौनी सं0-83 के खेत नम्बर 181 रकवा 137.103 हे0 मध्ये 35.440 हे0 भूमि प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित की गयी। दर्ज किया। ह0र0का0 05/09/2023 (हस्ताक्षर) 11/09/2023 (मुहर: उत्तराखण्ड राजस्व ... राजस्व उपनिरीक्षक, क्षेत्र गौनियारो, तह0 खनस्यूँ, जनपद-नैनीताल)	(हस्ताक्षर) 05/09/2023 रा0उ0नि0-पट्टी गौनियारो, तहसील खनस्यूँ जिला नैनीताल
		योग	58	267.992	—		

नोट- नकल उद्धरण NZA खतौनी असल से तैयार किया।

Scanned with AltaScanner

रिपोर्ट - रा० उ० नि० पट्टी - गौनियारो, तहसील - खनस्यूँ, जिला - नैनीताल

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय

तहसील - खनस्यूँ, जिला - नैनीताल

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या - 582/12 ज्येड० ए०सी० /2023-24 दिनांक 10 अगस्त 2023 तथा आपके पृष्ठांकन आदेश के क्रम में सादर अवगत कराना है कि जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना नैनीताल की तराई तथा चौकी फीडर नहर के निर्माण कार्य हेतु वांछित 17.22 है० वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 35.44 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम - हैयारीताल के फसली वर्ष 1428-1433 के नॉन० ज्येड० ए० खतौनी श्रेणी 9(3) ङ कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि खाता खतौनी सं- 83 के खेत नम्बर 181 रकबा 137.103 है० मध्ये 35.440 है० भूमि प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित की गयी, जो NZA खाता खतौनी में दर्ज कर एक प्रति सम्बन्धित विभाग अधिशासी अभियन्ता जमरानी बांध निर्माण खण्ड - 2 दमुवाढूँगा हल्द्वानी (नैनीताल) को प्रेषित की गयी है तथा एक प्रति रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित।

05/09/2023

गौनियारो,

खनस्यूँ

आदेश

अधिशासी अभियन्ता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2 दमुवाढूंगा हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्र संख्या 758/जमरानी–2/क्षतिपूरक वृक्षारोपण दिनांक 14.06.2023 के द्वारा जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) ने जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना नैनीताल की तराई तथा चकफेरी फीडर नहरों के निर्माण कार्य हेतु वांछित 17.72है. वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 35.44है. सिविल सोयम भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त में उपजिलाधिकारी धारी द्वारा अपने पत्रांक संख्याः 855/एस.टी./2022–23 दिनांक 26.6.2023 से अवगत कराया है कि ग्राम हत्यारीताल (हरीशताल) के फसली वर्ष 1428–1433 के नांन ज्येड.ए. खतौनी श्रेणी 09(3)ङ कृषि योग्य बंजर भूमि के खाता संख्या 83 के खेत नम्बर 181 रकबा 137.103है. भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त खेत नम्बर 181 मध्ये 35.440है भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण राजकीय भूमि का आवंटन प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्याः 111/XXVII(7)50(39)-15, दिनांकः 09–07–2015 एवं राजस्व विभाग के शासनादेश संख्याः 2173/XVIII/II/2012-18(120), दिनांक 17–12–2012 व शासनादेश संख्याः 1887/XVIII (II)/2015 दिनांकः 30–07–2015 उपजिलाधिकारी धारी की आख्या के आधार पर ग्राम हत्यारीताल (हरीशताल) के फसली वर्ष 1428–1433 के नांन ज्येड.ए. खतौनी श्रेणी 09(3)ङ कृषि योग्य बंजर भूमि के खाता संख्या 83 के खेत नम्बर 181 रकबा 137.103है. भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त खेत नम्बर 181 मध्ये 35.440है भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण राजकीय भूमि का आवंटन प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पक्ष में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी, धारी, तहसीलदार खनस्यूं तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति याचक विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

1. भूमि पर कोई धार्मिक महत्व की ईमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिये शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उस भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नही की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि अथवा भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
9. प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी0) संख्या 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम् पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य शर्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः........2/

Scanned with AltaScanner

11. आवटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या 01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

दिनाँक:–07.08.2023

ह०/
(वंदना),
जिलाधिकारी, नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

पत्र संख्या–: 582 / 12–ज्येड.ए.सी. / 2023–24 दिनांक 10 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल
2. उपजिलाधिकारी, धारी ।
3. तहसीलदार, खन्स्यूं इस आशय से प्रेषित कि राजस्व अभिलेखों में आदेश का अंकन करने के उपरान्त खतौनी की नकल चायक विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता,जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2 दमुवाढूँगा हल्द्वानी (नैनीताल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालय प्रति।

(शिव चरण दिवेद्वी)
अपर जिलाधिकारी,(प्र०)
नैनीताल।

Scanned with AltaScanner